कार्यालय जोधपुर विकास प्राधि पुर

क्रमांक / एफ.21 / स्था. / 2009 / फरवरी, 2009

कार्यालय आदेश

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत् समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संलग्न प्रपत्र में अपनी अभिरक्षा की समस्त पत्रावलियों का विवरण दिनांक 6 मार्च, 2009 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं एक प्रतिलिपि संबंधित प्रभारी अधिकारी को भी प्रस्तुत करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9 (6) नविवि / 3 / 2008 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश की धारा 96 (जे) के तहत न्यास के अधीन सेवारत् प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन होने पर 6 माह की कालावधि के लिए अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित समझे गये हैं। उक्त 6 माह की अवधि दिनांक 12 मार्च, 2009 को पूर्ण हो रही है। अध्यादेश में प्राधिकरण द्वारा न्यास के अधीन सेवारत् प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी के स्कीनिंग का प्रावधान है। स्कीनिंग के पश्चात् कर्मचारी / अधिकारियों को आमिललित करने अथवा नहीं करने का निर्णय लिया जाना है।

प्राधिकरण में पत्रावलियों में पत्रावली नम्बर की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी मामलों में पत्रावली नहीं मिलती है और अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्णय तक जाना पडता है। इससे प्राधिकरण की छवि खराब होती है एवं उस व्यक्ति जिसकी पत्रावली नहीं मिलती है, उसे असुविधा का सामना करना पडता है। अतः पूर्व में दिये गये निर्देशों के कम में निर्देश दिये जाते है कि सभी अधिकारी / कर्मचारी उनकी अभिरक्षा में जितनी पत्रावलियां है, उनकी समस्त की सूची बनाकर दिनांक 6 मार्च, 2009 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा की गई प्रगति से अध्यादेश की धारा 96 (जे) के तहत उनकी स्कीनिंग में इसको मुख्य आधार प्रस्तावित किया जाता है।

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / एफ.21 / स्था. / 2009 / 338 से 351 दिनांक :: 3 ~~फरवरी~~ मार्च, 2009

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02. अति. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. विशेषाधिकारी (भूमि) / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. अधिशाषी अभियन्ता (सरदारपुरा / सूरसागर / शहर / विद्युत), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
05. उप नगर नियोजक / लेखाधिकारी / तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
06. श्री विजयराज जोशी / श्री शान्तिरूप माथुर, सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
07. --

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर